

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *63

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

उत्तर प्रदेश में महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई

63*. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सक्रिय महिला-स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जिलावार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या महिलाओं की संपाश्विक-मुक्त ऋण, डिजिटल उपकरणों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सुलभता में कोई संरचनात्मक बाधाएं पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में महिला-नेतृत्व वाले कितने एमएसएमई केंद्र, औद्योगिक संकुल या महिला-विशिष्ट आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर या पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) संबंधी परियोजनाएं जिलावार कार्यशील हैं; और
- (घ) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चैंपियंस, स्किल इंडिया और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट जैसी योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों के महिला-पुरुषवार आंकड़ें रखती है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में जिलावार कितनी महिला लाभार्थी हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री जीतन राम मांझी)

- (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कुल डिजिटल पंजीकरण 22,61,765 है।

सरकार एमएसएमई, जिसमें महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई भी शामिल हैं, को सहायता प्रदान करने एवं उनका संवर्धन करने की दृष्टि से विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को सहायता प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख स्कीम निम्नानुसार हैं:

- (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- (ii) (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की गारंटी प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 90% की संवर्धित ऋण गारंटी कवर शामिल है।
- (iii) लोक प्रापण नीति (पीपीपी) में, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वार्षिक खरीद का कम से कम 25% एमएसई से खरीदना अधिदेशित किया गया है। इसमें से 3% खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से किया जाना अधिदेशित है।
- (iv) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम एमएसई को घरेलू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने और ई-कॉमर्स अपनाने में सुविधा प्रदान करती है।
- (v) एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल (एमएसएमई टीम पहल) का उद्देश्य महिला स्वामित्व वाले 2.5 लाख एमएसई को सहायता प्रदान करना है। यह पहल एमएसई को कैटलॉगिंग, लेखा प्रबंधन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सहायता के माध्यम से ओएनडीसी ई-कॉमर्स नेटवर्क पर लेन-देन करने में सहायता प्रदान करती है।

अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग भी अपनी स्कीमों के माध्यम से महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देते हैं। ऐसी कुछ स्कीमों निम्नानुसार हैं:

- (i) वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियाँ स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) जैसे सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
- (ii) महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) नीति आयोग द्वारा विकसित एक साझा सार्वजनिक-निजी पहल है, जिसका उद्देश्य देश-भर में उद्यमिता के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। यह सूचना, सेवा, इनक्यूबेशन तक पहुँच, गतिवर्धन और मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करता है।
- (iii) वित्त मंत्रालय के स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) स्कीम के अंतर्गत कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के लिए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखा में कम से कम एक एससी या एसटी उद्यमी और एक महिला उद्यमी को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित होने वाली महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): नीति आयोग की सहायता से तैयार "नीति आयोग ने "उधारकर्ता से निर्माता तक: भारत की वित्तीय विकास गाथा में महिलाओं की भूमिका, मार्च 2025", विषयक रिपोर्ट में उन मुद्दों को चिन्हित किया गया है जो महिला उद्यमियों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त करने में बाधक हैं। इसमें सीमित ऋण तत्परता, संपार्श्विक की कमी, बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव, ऋण लेने से झिझक, सामाजिक महिला-पुरुष पूर्वाग्रह और सीमित वित्तीय साक्षरता शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, डिजिटल साधनों और ई-कॉमर्स तक महिलाओं की पहुँच से जुड़ी संरचनात्मक बाधाओं में कौशल की कमी, अनुपालन से जुड़ी बाधाएं तथा सीमित गतिशीलता शामिल हैं। ग्रामीण महिला उद्यमियों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सीमित व्यावसायिक कौशल, बाज़ार तक पहुँच और तकनीकी कमी शामिल हैं, जिन्हें मार्गदर्शन (मेंटॉरशिप) और नेटवर्किंग की कमी और अधिक जटिल बना देती है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईआईआर) द्वारा प्रकाशित 'एमएसएमई वार्षिक सर्वेक्षण: एमएसएमई की वृद्धि के लिए ई-कॉमर्स का उपयोग', 2023, में डिजिटल तकनीकों के बारे में जानकारी की कमी, बाज़ार संबंधी जानकारी तक सीमित पहुँच, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में प्रशिक्षण की कमी और प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए धन की अनुपलब्धता को सभी एमएसएमई के सामने डिजिटल साधनों और ई-कॉमर्स अंगीकरण की चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया है। जिनमें महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई भी शामिल हैं।

(ग): मंत्रालय ने 'नवप्रवर्तन (इनोवेशन), ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन' स्कीम (एस्पायर) के अंतर्गत किसी भी महिला-विशिष्ट आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) को सहायता नहीं प्रदान की है। तथापि, उत्तर प्रदेश में नौ एलबीआई संस्वीकृत किए गए हैं। सूची अनुलग्नक-II (क) में है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में महिला-नेतृत्व वाले कुल 6 क्लस्टर कार्यशील हैं। सूची अनुलग्नक-II (ख) में है।

(घ): जी हां। एमएसएमई मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय क्रमशः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट और स्किल इंडिया स्कीम के लाभार्थियों के संबंध में महिला-पुरुष आधार पर अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव करते हैं। उत्तर प्रदेश में इन स्कीमों की लाभार्थी महिलाओं की जिला-वार संख्या अनुलग्नक-III में है।

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार की प्रमुख स्कीमों से लाभान्वित महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की जिला-वार संख्या के संदर्भ में दिनांक 24 जुलाई 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

क्र.सं.	जिला	पीएमईजीपी	सीजीटीएमएसई	पीएमएस	एमएसएमई टीम	पीएम मुद्रा योजना	स्टैंडअप इंडिया
1	आगरा	549	44692	20	6	613201	422
2	अलीगढ़	200	1915	4		325526	275
3	अंबेडकर नगर	203	2980			225251	102
4	अमेठी	284	695			23659	123
5	अमरोहा (जे. पी. नगर)	153	665			97077	66
6	औरैया	147	734			37542	93
7	आजमगढ़	469	6581	1		469441	169
8	बागपत	102	597	4	1	118577	52
9	बहराईच	178	1012			296828	64
10	बलिया	193	4409	2		501550	164
11	बलरामपुर	83	842			41346	21
12	बाँदा	96	475			125582	67
13	बाराबंकी	274	904	1		83917	89
14	बरेली	130	2934	20	1	363941	241
15	बस्ती	139	1896			227145	130
16	भदोही/संत रविदास	164	2104	11	1	196773	95
17	बिजनौर	230	1640		2	429008	83
18	बदायूं	114	1032			115744	97
19	बुलंदशहर	282	2067	3		258847	149
20	चंदौली	284	4357	5		330252	110
21	चित्रकूट	128	293			116301	27
22	देवरिया	231	2916			731482	275
23	एटा	123	386	2		80910	81
24	इटावा	95	722			51113	96
25	फैजाबाद	228	1973			191386	176
26	फर्रुखाबाद	140	602	2		19197	66
27	फतेहपुर	180	1211	1		47327	88
28	फिरोजाबाद	191	800	1		145284	80
29	गौतम बुद्ध नगर	83	2892	97	10	46227	346
30	गाजियाबाद	193	4721	55	7	228453	407
31	गाजीपुर	399	6195	2		351786	174
32	गोंडा	268	2632			87357	82
33	गोरखपुर	328	5207	2		1319744	372
34	हमीरपुर	99	770			32912	32
35	हापुड़ (पंचशील नगर)	188	643	16		207615	90
36	हरदोई	258	1005			55721	56
37	हाथरस	152	765	1		83574	82
38	जालौन	97	755			45996	42

क्र.सं.	जिला	पीएमईजीपी	सीजीटीएमएसई	पीएमएस	एमएसएमई टीम	पीएम मुद्रा योजना	स्टैंडअप इंडिया
39	जौनपुर	349	5467		1	486943	194
40	झांसी	183	2408	6		214697	161
41	कन्नौज	132	493	2		83032	32
42	कानपुर देहात	136	703	2	1	36552	56
43	कानपुर नगर	240	4290	52	4	204822	985
44	कांशीराम नगर (कासगंज)	98	223			20345	48
45	कौशांबी	137	540			79309	33
46	कुशीनगर	179	2200	1		925599	99
47	लखीमपुर खीरी	321	935		1	181043	103
48	ललितपुर	120	1195			13130	73
49	लखनऊ	435	7756	42	9	387002	843
50	महाराजगंज	120	1000			458046	164
51	महोबा	99	526	1		30339	15
52	मैनपुरी	203	614			14778	81
53	मथुरा	260	1647	4		252521	259
54	मऊ	184	2139			225989	100
55	मेरठ	305	3185	14	2	257461	298
56	मिर्जापुर	412	3870	1		387422	84
57	मुरादाबाद	150	1569	18	1	173866	249
58	मुजफ्फरनगर	230	2087	1	1	497788	143
59	पीलीभीत	165	773			33463	36
60	प्रतापगढ़	487	1745			156447	135
61	प्रयागराज	355	4757	4	2	626613	405
62	रायबरेली	273	1502			178642	180
63	रामपुर	193	1310	7		106657	48
64	सहारनपुर	269	2139	7		779943	144
65	संभल	116	397		1	80508	50
66	संत कबीर नगर	128	740			125477	100
67	शाहजहांपुर	158	938			136216	107
68	शामली	120	537	3		196502	31
69	श्रावस्ती	27	198			22285	9
70	सिद्धार्थनगर	108	687			68785	66
71	सीतापुर	147	725	1		174828	80
72	सोनभद्र	150	2220	1		449251	98
73	सुल्तानपुर	209	1569			150827	151
74	उन्नाव	188	1155	1		102896	52
75	वाराणसी	581	8650	24	3	748018	609
	अन्य @					566024	
	योग	15622	189908	442	54	18357658	11476

@ कुछ एनबीएफसी/एमएफआई के लिए जिला-वार डेटा उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रचालनरत औद्योगिक क्लस्टरों या महिला-विशिष्ट आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों या परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) परियोजनाओं की जिला-वार संख्या के संदर्भ में दिनांक 24 जुलाई 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

11(क) उत्तर प्रदेश में एस्पायर द्वारा सहायता प्राप्त आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों (एलबीआई) की जिला-वार संख्या। मंत्रालय ने किसी भी महिला-विशिष्ट एलबीआई को सहायता प्रदान नहीं की है:

क्र.सं.	जिले का नाम जहाँ एलबीआई स्थित है	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
1.	देवरिया	एनएसआईसी, देवरिया, उ.प्र.	5956
2.	नैनी इलाहाबाद	एनएसआईसी, नैनी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	5299
3.	लखनऊ	समाधान समिति, लखनऊ/ दिल्ली	640
4.	बस्ती	राजकीय आईटीआई, उ.प्र.	33
5.	बलिया	राजकीय आईटीआई, उ.प्र.	30
6.	गाजीपुर	राजकीय आईटीआई, उ.प्र.	29
7.	गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)	निस्वड गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), उत्तर प्रदेश	2246
8.	कुशीनगर	एलबीआई - उत्तर प्रदेश सरकार	140
9.	कैजाबाद/अयोध्या	एलबीआई - उत्तर प्रदेश सरकार	-

11(ख) उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्फूर्ति क्लस्टरों की सूची:

क्र.सं.	जिला	क्लस्टर का नाम	कुल कारीगर	सरकारी सहायता (लाख रुपये में)
1	लखनऊ	चिकनकारी कढ़ाई और सिलाई क्लस्टर, लखनऊ	640	332.6
2	उन्नाव	चिकनकारी कढ़ाई और सिलाई क्लस्टर	506	246.59
3	देवरिया	देवरिया क्रोशिया क्लस्टर	306	101.87
4	फतेहपुर	हस्तशिल्प और जूट क्लस्टर	750	284.4
5	रामपुर	रामपुर बहु-उत्पाद क्लस्टर	355	233.33
6	अंबेडकर नगर	जरी ज़रदोज़ी, सिलाई और कढ़ाई क्लस्टर	400	210.59

उत्तर प्रदेश राज्य में एमएसएमई चैंपियंस, स्किल इंडिया और सीजीटीएमएसई की महिला लाभार्थियों की जिला-वार संख्या के संदर्भ में दिनांक 24 जुलाई 2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	जिला	एमएसएमई चैंपियंस			सीजीटीएमएसई	स्किल इंडिया			
		जेड	पंजीकृत लीन	इन्क्यूबेशन		पीमकेवीवाई *	जेएसएस #	एनएपीएस **	सीटीएस ##
1	आगरा	270	36		47,124	13,341	1762	233	1133
2	अलीगढ़	102	57		3,226	5,672	1403	37	547
3	इलाहाबाद (प्रयागराज)	26	23		7,178	6,180	3146	248	1197
4	अंबेडकर नगर	217	8		3,605	2,622	1612	94	692
5	अमेठी	28	2		1,065	1,056	1555	37	373
6	अमरोहा (जे. पी. नगर)	3	-		1,182	2,448	-	33	541
7	औरैया	4	-		962	2,346	-	47	278
8	आजमगढ़	7	-		8,554	11,211	-	150	525
9	बागपत	19	9		943	585	-	35	84
10	बहराईच	2	-		1,544	2,192	1614	29	239
11	बलिया	9	-		5,145	2,808	1341	57	561
12	बलरामपुर		-		1,239	2,035	-	7	185
13	बाँदा		-	1	881	1,623	1684	24	696
14	बाराबंकी	178	3		1,657	1,370	1579	239	873
15	बरेली	3	7		4,967	7,149	1076	140	811
16	बस्ती	2	-		2,527	1,735	1472	50	436
17	भदोही	69	7		3,114	763	1402	22	181
18	बिजनौर	87	18		2,719	8,833	-	25	509
19	बदायूं	1	-		1,847	1,512	-	16	470
20	बुलन्दशहर	26	22		3,339	6,531	-	7	399
21	चंदौली	27	17	1	5,202	2,873	1369	46	217
22	चित्रकूट		-		508	2,627	1564	10	258
23	देवरिया	12	1		3,580	3,047	1498	41	463
24	एटा	21	-		783	1,477	-	27	299
25	इटावा	9	5		1,030	1,613	1496	104	515
26	फैजाबाद (अयोध्या)		10		3,144	1,314	1557	60	931
27	फर्रुखाबाद	2	-		1,417	1,685	728	18	358
28	फतेहपुर	13	1		2,172	1,273	1520	9	602
29	फिरोजाबाद	70	2		1,569	4,221	1579	50	449
30	गौतम बुद्ध नगर	257	40	24	4,418	2,470	1436	8998	549

31	गाजियाबाद	190	45	8	7,133	2,893	1550	1261	348
32	गाजीपुर	27	-		7,445	5,995	-	46	499
33	गोंडा	5	-		3,544	586	1319	35	307
34	गोरखपुर	62	3		7,111	9,841	1636	227	842
35	हमीरपुर	6	-		1,026	180	-	37	550
36	हापुड (पंचशील नगर)	16	12	1	849	1,130	-	14	470
37	हरदोई	27	1		2,011	1,426	1372	52	555
38	हाथरस	26	1	1	1,223	3,930	-	18	355
39	जालौन	45	3		1,128	509	1671	30	620
40	जौनपुर	2	-		7,507	3,630	1491	119	568
41	झांसी	119	22	2	3,640	2,309	-	83	1308
42	कन्नौज	3	-		969	1,150	-	10	518
43	कानपुर देहात	11	1	1	1,056	-	-	-	-
44	कानपुर नगर	607	56	4	8,400	9,186	2873	464	2459
45	कांशीराम नगर (कासगंज)	4	-		286	1,794	-	16	130
46	कौशांबी	1	-		945	645	1438	27	290
47	कुशीनगर	1	-		2,697	2,967	-	42	449
48	लखीमपुर खीरी	2	1		1,664	1,416	-	12	698
49	ललितपुर	28	1		1,671	2,443	-	31	463
50	लखनऊ	50	7	3	13,519	9,079	3126	1058	1199
51	महाराजगंज		-		1,421	3,335	-	22	331
52	महोबा	15	-		797	310	-	16	483
53	मैनपुरी	6	5		1,100	1,719	-	14	470
54	मथुरा	43	14	1	2,637	11,815	-	50	628
55	मऊ	901	77		2,959	3,166	1608	28	487
56	मेरठ	76	17	8	5,566	5,184	-	123	703
57	मिर्जापुर	30	6		5,184	7,611	1562	32	384
58	मुरादाबाद	90	6	1	4,251	8,480	-	174	515
59	मुजफ्फरनगर	12	7		3,274	3,856	-	30	326
60	पीलीभीत	3	4	1	1,239	3,989	1573	56	428
61	प्रतापगढ़	2	-		2,593	1,491	1596	29	276
62	रायबरेली	52	18		2,615	460	1605	73	795
63	रामपुर	4	11		2,091	2,277	-	136	277
64	सहारनपुर	62	3		3,841	8,885	1193	127	1191
65	संभल	1	-		920	551	-	62	205
66	संत कबीर नगर	42	14		1,153	1,925	-	46	323
67	शाहजहांपुर	5	-		1,461	2,644	1329	49	388

68	शामली	2	3		591	629	-	14	215
69	श्रावस्ती	-	-		337	413	1404	11	97
70	सिद्धार्थनगर	-	-		984	1,377	1387	32	197
71	सीतापुर	49	-		1,340	2,129	-	40	640
72	सोनभद्र	1	16		2,951	6,901	1702	56	382
73	सुल्तानपुर	14	-		2,603	1,620	1446	52	558
74	उन्नाव	28	5		1,995	409	1448	205	475
75	वाराणसी	732	53	3	12,352	11,761	2865	253	657
योग		4,941	680	30	2,66,720	2,58,658	69,587	16,205	39,430

*पीमकेवीवाई: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

#जेएसएस: जन शिक्षण संस्थान स्कीम

*#एनएपीएस: राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन स्कीम

सीटीएस: शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम